विदेश मंत्रालय ओई और पीजीई डिवीजन

विदेशी भर्ती के लिए एजेंटों द्वारा अधिक शुल्क लेने, फर्जी विदेशी नौकरियों की पेशकश करने और अवैध भर्ती पर सलाह

यह देखा गया है कि विदेशी नौकरी चाहने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिन्हें अपंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा फर्जी नौकरी की पेशकश के माध्यम से धोखा दिया जाता है और 2-5 लाख रुपये का अधिक मूल्य भी वसूला जाता है। ये अपंजीकृत/अवैध एजेंट विदेश मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना काम करते हैं, जो विदेश में काम के लिए किसी भी भर्ती के लिए अनिवार्य है। सूचित किया है गया है कि कई अवैध एजेंट फेसबुक, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज और ऐसे अन्य माध्यमों से काम करते हैं। ये एजेंसियां उनके ठिकाने और संपर्कों का बहुत कम या कोई विवरण नहीं देती हैं। वे आम तौर पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संवाद करते हैं, जिससे कॉल करने वाले के स्थान और पहचान और नौकरी की पेशकश की वास्तविकता का पता लगाना मुक्किल हो जाता है। ऐसे एजेंट श्रमिकों को कठिन और जानलेवा परिस्थितियों में काम करने का लालच भी देते हैं। कई पूर्वी यूरोपीय देशों, कुछ खाड़ी देशों, मध्य एशियाई देशों, इज़राइल, कनाडा, म्यांमार और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में काम के लिए भर्ती के लिए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

वैध नौकरी के प्रस्ताव विदेशी नियोक्ता, भर्ती एजेंट और प्रवासी श्रमिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रोजगार अनुबंध के साथ आते हैं। रोजगार अनुबंध में दी जाने वाली नौकरी की शर्तों और वेतन तथा अन्य परिलब्धियों का उल्लेख होना चाहिए। वैध नौकरी प्रस्तावों में कर्मचारी को पर्यटक वीजा को छोड़कर रोजगार या कार्य वीजा या अन्य समान वीजा के आधार पर प्रवास करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यटक वीज़ा का उपयोग केवल पर्यटन के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। आम तौर पर, प्रतिष्ठित विदेशी नियोक्ता हवाई किराया, बोर्डिंग और लॉजिंग और बीमा कवर की लागत प्रदान करते हैं।

प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य देश की स्थानीय परिस्थितियों के बारे में स्वयं को जागरूक करना चाहिए। यह जानकारी प्रस्थान-पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण (पीडीओटी) केंद्रों में उपस्थित होकर या गंतव्य देश में भारतीय दूतावास के सामुदायिक कल्याण विंग से प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार ने पंजीकृत भर्ती एजेंटों के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) खरीदना अनिवार्य कर दिया है, जो एक बार के प्रीमियम (दो साल के कवर के लिए 275 रुपये और तीन साल के कवर के लिए 375 रुपये और तीन साल के कवर के लिए 375 रुपये) के साथ मृत्यु के मामलों और काम से संबंधित चोट और चिकित्सा व्यय पर 10 लाख रुपये की बीमा राशि सहित विभिन्न लाभ प्रदान करता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विदेश में नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे केवल पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) की सुरक्षित और कानूनों सेवाओं का उपयोग करें। सभी पंजीकृत भर्ती एजेंटों को एक लाइसेंस नंबर जारी किया जाता है जिसे उनके कार्यालय परिसर और समाचार पत्रों और सोशल मीडिया सिंहत उनके विज्ञापनों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। भावी प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी वेबसाइट www.emigrate.gov.in पर जाकर और "सिंक्रिय आरए की सूची" लिंक पर क्लिक कर भर्ती एजेंटों की वास्तविकता की जांच करें। उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार, कोई भी भर्ती एजेंट उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में भावी प्रवासी से 30000 रुपये + जीएसटी (18%) से अधिक सेवा शुल्क नहीं लेगा, और भर्ती एजेंट उस प्रवासी को इस संबंध में उसके द्वारा एकत्र की गई राशि के लिए एक रसीद जारी करेगा। भर्ती के किसी अन्य माध्यम से विदेश जाने पर पैसे की धोखाधड़ी, वादा की गई नौकरी न मिलना, विदेश में रहने की कठिन परिस्थितियों जैसे जोखिम होते हैं। सभी अपंजीकृत एजेंसियों को चेतावनी दी जा रही है कि वे विदेशी भर्ती गतिविधियों में शामिल न हों। ऐसी गतिविधियाँ उत्प्रवास अधिनियम 1983 का उल्लंघन हैं और मानव तस्करी के समान हैं, जो एक दंडनीय आपराधिक अपराध है।

शिकायतों और प्रश्नों के लिए कृपया संपर्क करें:

- 1. प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके), विदेश मंत्रालय कमरा नंबर 1005, 10वीं मंजिल, अकबर भवन, चाणकयापुरी, नई दिल्ली 110021 टोल फ्री नंबर: 1800 11 3090 (केवल भारत से पहुंच योग्य) प्रभार्य संख्या +91-11-2688-5021 (मानक लंबी दूरी की कॉल शुल्क लागू) व्हाट्सएप नंबर +91-7428 3211 44/ई-मेल: helpline@mea.gov.in
- 2. प्रवासियों के संरक्षक जनरल का कार्यालय, विदेश मंत्रालय, कमरा नंबर 1009, 10वीं मंजिल, अकबर भवन, चाणकयपुरी। नई दिल्ली 110021 ईमेल: pge@mea.gov.in/ diroe1@mea.gov.in

Ministry of External Affairs OE & PGE Division

Advisory on overcharging by agents for overseas recruitment, offering fake overseas jobs and illegal recruitment

It has been noticed that there has been a huge rise in the number of overseas job seekers being cheated by unregistered recruitment agents by fake job offers and also overcharging to the tune of Rs. 2-5 lakhs. These unregistered/illegal agents operate without obtaining license from the Ministry of External Affairs, which is mandatory for any recruitment for work abroad. It is reported that many illegal agents operate through Facebook, Whatsapp, text message and other such mediums. These agencies provide little or no details of their whereabouts and contacts. They usually communicate only through Whatsapp, making it difficult to ascertain the location and identity of the caller & genuineness of the job offer. Such agents also lure workers to work in difficult and life threatening conditions. Such cases are being reported for recruitment to work in several East European Countries, some of the Gulf countries, Central Asian countries, Israel, Canada, Myanmar and Lao People's Democratic Republic.

A valid job offers come along with Employment Contract duly signed by Foreign Employer, recruitment Agent and the emigrant worker. The Employment Contract must mention term & conditions of the job being offered and the salary and other emoluments. Valid job offers must allow the worker to emigrate on strength of Employment or Work visa or other similar visa except tourist visa. It may be noted that tourist visa should only be used for the purpose of tourism. Normally, reputed Foreign Employers provide for cost of airfare, boarding & lodging and insurance cover.

Emigrant workers should make themselves aware of local conditions of the destination country. The information may be obtained by attending Pre-Departure Orientation Training (PDOT) Centers or from the Community Welfare Wing of the concerned Indian Embassy in the destination country. Government of India makes it mandatory for registered recruitment agents to purchase Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) for the migrant workers which provides various benefits including Rs. 10 Lakh sum assured on death cases and work related injury and medical expenses with one time premium (Rs. 275 for the cover of two years and Rs. 375 for the cover of three years).

In view of the above, persons seeking jobs abroad are requested to use the safe and legal services of registered Recruiting Agents (RA) only. All registered RAs are issued a license number which is prominently displayed in their office premises and in their advertisements, including newspapers and social media. Prospective emigrants are advised to cross check the genuineness of the RA by visiting the government website www.emigrate.gov.in and click the link "List of active RA". As per the Emigration Act 1983, no recruiting agent shall collect from the prospective emigrant the service charges more than Rs. 30,000 + GST (18%), in respect of services provided by it to that emigrant and the recruiting agent shall issue a receipt to the emigrant for the amount collected by it in this regard. Going abroad through any other channel of recruitment involves serious risk of being defrauded of money, not landing in the promised job and difficult living conditions abroad. All

unregistered agencies are being warned not to involve in overseas recruitment activities. Such activities are in violation of Emigration Act 1983 and amount to human trafficking, which is a punishable criminal offense.

For complaints & queries kindly contact:

1. Pravasi Bharatiya Sahayata Kendra (PBSK), Ministry of External Affairs

Room No. 1005, 10th Floor, Akbar Bhawan, Chanakayapuri, New Delhi 110021 Toll Free No: 1800 11 3090 (Accessible from India only) Chargeable No. +91-11-2688-5021 (Standard long distance call charges apply) WhatsApp No. +91-7428 3211 44/E-mail: helpline@mea.gov.in

2. Office of Protector General of Emigrants, Ministry of External Affairs, Room No. 1009, 10th Floor, Akbar Bhawan, Chanakayapuri. New Delhi 110021

Email: pge@mea.gov.in/ diroe1@mea.gov.in